:: आओ बनें वेटलैण्ड मित्र ::

परिकल्पना ::

वैटलैण्ड हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। वे जल प्रदाय के साथ–साथ जलीय पौधो, एवं जीव जन्तुओं के लिये भी जीवन दायी है। वैटलैण्डस की भू–जल भरण, जैव विविधिता, जलवायु एवं बाढ़ नियंत्रण, रहवासी एवं प्रवासी पंक्षियों के लिये एहम भुमिका है। स्थानिय निवासियों के लिये ये आजिविका का साधन है। परंतु मानव गतिविधियों एवं अत्यधिक दोहन के कारण इनका अस्तित्व संकट में है।

विगत कुछ वर्षो से राष्ट्र भारी जल संकट से गुजर रहा है। अतः जल स्त्रोतो की महत्ता को रेखांकित करते हुए भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने जल स्त्रोतो के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु हर संभव प्रयास किये जाने का आवाहन किया है। उपरोक्त के परिप्रेक्ष में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देश में स्थित 130 वैटलैण्ड के संरक्षण हेतु विशेष मुहीम के तहत् मध्यप्रदेश से भोज वैटलैण्ड (बड़ा एवं छोटा तालाब) भोपाल एवं सिरपुर वेटलैण्ड, इन्दौर को सम्मिलित किया गया है।

वैटलैण्ड मित्र की परिकल्पना पूर्णतः अनौपचारिक, स्वैच्छिक, गैर राजनितिक रूप से संबंधित नागरिको के समुह को जोड कर अधिक से अधिक जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। वैटलैण्ड मित्र विरासत में मिली इस धरोहर का संरक्षण एवं संवर्धन के लिए व्यक्तिगत, संस्था आदि के माध्यम से योगदान एवं बहुमूल्य समय देकर राज्य शासन, राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण तथा नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे कार्यो में समय–समय पर सहयोग प्रदान कर सकते है।

वेटलैण्ड मित्र ::

कोई व्यक्ति विशेष, जन–समूह, संस्थान, आदि जो वेटलैण्ड के संरक्षण, प्रबंधन एवं सौन्दर्यीकरण हेतु अपना समय एवं सेवाएं प्रदान कर सकें वे वेटलैण्ड मित्र हैं। इस हेतु ऐसे लोगों को चिन्हित कर एक समान उद्देश्य के साथ एक साथ लाना हमारा उद्देश्य है।

वेटलैण्ड मित्र की भूमिकाएं :–

1. वेटलैण्ड की महत्ता, उपयोगिता तथा वेटलैण्ड के कार्यो के बारे में स्थानीय समुदाय / रहवासी, विद्यार्थी एवं अन्य हितग्राहियों आदि को बताना एवं वेटलैण्ड के संरक्षण, उसके सही उपयोग, आस पास की गतिविधियों, प्रबंधन कार्यो के कियान्वयन एवं मानिटरिंग हेतु जागरूक करना।
2. वेटलैण्ड मित्रों के दल का निर्माण कर वेटलैण्ड के संवर्धन, संरक्षण, प्रबंधन, प्लानिंग एवं क्रियान्वयन में हितग्राहियों के सहयोग से भागीदारी करना।
3. ग्राम पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र की विकास योजनाओं में वेटलैण्ड्स के संरक्षण की महत्ता के समावेश को प्रोत्साहित करना।
4. वेटलैण्ड पर दुषप्रभाव डालने वाली गतिविधियां जैसे अतिक्रमण, बदलाव, ठोस अपशिष्ट, अनउपचारित द्रव अपशिष्ट आदि फेंकना जैसे कार्यों की मानिटरिंग करना एवं राज्य शासन / वेटलैण्ड प्राधिकरण, नगर निगम द्वारा समय समय पर निर्धारित अन्य कार्यो से राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण तथा नगर निगम को अवगत कराना।

वेटलैण्ड मित्र चयन की प्रक्रिया :–

1. वेटलैण्ड मित्र बनने के इच्छुक व्यक्ति को निर्धारित पंजीकरण फॉर्म (ऑनलाईन) भरना होगा।
2. वेटलैण्ड मित्रों का कार्यप्रणाली एवं विशेष योग्यता के आधार पर समूह बनाकर वेटलैण्ड संरक्षण के कार्य किए जाएंगे।
3. वेटलैण्ड मित्रों के चयन संबंधित जानकारी उन्हें ईमेल पर दी जाएगी।

Wetland Mitra

वेटलैण्ड मित्र होने के लिए आवश्यक अर्हताएं :–

1. भारतीय नागरिकता हों।
2. पंजीकरण के समय आयु सीमा 18 से 70 वर्ष हो।
3. वेटलैण्ड के समीप कार्यक्षेत्र अथवा घर हो।
4. हिन्दी एवं अग्रेजी का समान्य ज्ञान हो।
5. किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय न हों तथा किसी भी प्रकार का न्यायलीन प्रकरण न हो।
6. निःस्वार्थ भाव एवं बिना किसी मानदेय के वेटलैण्ड संरक्षण कार्य करने के इच्छुक हों।

सामान्य जानकारी एवं निर्देशः–

1. विभाग द्वारा चयनित वेटलैण्ड मित्र को पहचान चिन्ह के रूप में बैच प्रदान किया जावेगा।
2. वेटलैण्ड मित्र द्वारा वेटलैण्ड नियम एवं अधिनियम के पूर्णतः पालन हेतु कार्य किए जाएंगे।
3. विभाग द्वारा दिए गए वेटलैण्ड संबंधित दिशा निर्देश का पालन सुनिश्चित करना होगा।
4. समय–समय पर विभाग द्वारा वेटलैण्ड मित्र की कार्य कुशलता का परीक्षण किया जावेगा।
5. वेटलैण्ड मित्र के कार्य की समय–सीमा 02 वर्ष होगी एवं उसके कार्य अनुसार उसे बढ़ाया या घटाया भी जा सकेगा।
6. वेटलैण्ड मित्र द्वारा अपना समूह छोडने के 01 माह पहले लिखित में सूचित करना होगा।
7. वेटलैण्ड मित्र द्वारा किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता पर विभाग द्वारा कार्यवाही की जावेगी एवं पद से मुक्त भी किया जा सकता है।
8. यह पूर्णतः निःस्वार्थ सेवा होगी एवं इसके लिए कोई मानदेय नहीं दिया जावेगा।
9. विभाग द्वारा कोई भी सहकर्मी या वाहन सेवा प्रदान नहीं की जावेंगी वेटलैण्ड मित्र को स्वयं के साधनों से ही कार्य करना होगा।
10. वेटलैण्ड मित्र द्वारा जन–मानस से भी वेटलैण्ड नियम का परिपालन कराना सुनिशचित करना होगा एवं उक्त द्वारा ऐसा नहीं करने पर वेटलैण्ड मित्र द्वारा विभाग को सूचित किया जावें।

Wetland Mitra

आओ बनें वेटलैण्ड मित्र ::

:: Wetland Mitras Registration Form ::

:: वेटलैण्ड मित्र पंजीकरण फॉर्म ::

First Name / नाम	
Last Name / उपनाम	
Gender / लिंग	Male/पुरूष.............. Female/महिला .... Transgenders/ट्रांसजेण्डर ....
Mobile/मोबाईल नं.	
E-mail/ईमेल	
Address/पता	
Ward/वॉर्ड	
Town/Village/शहर/गांव	
District/जिला	
Educational Qualification/ शैक्षणिक योग्यता	
Occupation/Dept./ व्यवसाय / विभाग	

क्या आप किसी अन्य सस्थान से जुडे हुए हैं जो कि जल संरक्षण संबंधित कार्य करते हैं यदि हां तो उसकी जानकारी दें।

संस्था का नाम	
संस्था का पता	
उद्देश्य	
कार्य	

	आप निम्न में से किन कार्यों को स्वयं सेवक (Volunteer) के रूप में जनभागीदारी से करना चाहेंगे ?	टिक करें
1.	जन–जागरूकता	
2.	वेटलैण्ड प्रबंधन, प्लानिंग एवं क्रियान्वयन के कार्य	
3.	ठोस एवं द्रव अपशिष्ट, अतिक्रमण आदि की मॉनीटरिंग	
4.	वृक्षारोपण	
5.	जैविक खेती	
6.	जैव–विविधता या अन्य अध्ययन	
7.	पक्षी संरक्षण	
8.	जल गुणवत्ता	
9.	वेटलैण्ड संरक्षण से सम्बंधित यदि कोई अन्य कार्य हो तो लेख करें–	

नामांकन दिनांक ..../........../............ हस्ताक्षर

Wetland Mitra

घोषणा–पत्र

मैं .... घोषणा करता/करती हूँ, कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है। वेटलैण्ड मित्र के रूप में, मैं अपनी सेवाएं निःस्वार्थ रूप से प्रदान करूंगा/करूंगी एवं इस कार्य हेतु मुझे किसी भी प्रकार के मानदेय नहीं प्रदान किया जाएगा।

स्थान : ....

दिनांक : ....

हस्ताक्षर

नाम ....

पिता का नाम ....

मोबाईल नंबर...

Wetland Mitra